भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 474

दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातकों का बकाया

474 डॉ वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्री दयाकर पसुनूरी:
श्रीमती कविता मलोथू:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों के 56,000 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके तहत निर्यातकों के पैसे सरकार के पास बकाया है और इससे कितने एमएसएमई को लाभ मिलने वाला है;

(ग) तेलंगाना के निर्यातकों का ब्यौरा क्या है जिनके बकाया का भुगतान किया जाने वाला है; और

(घ) वर्ष 2021–22 के दौरान 400 बिलियन डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) सरकार ने निर्यातकों को लंबित निर्यात प्रोत्साहन बकाया राशि के भुगतान के लिए 56,027 करोड़ रु. जारी किए हैं जो विभिन्न स्कीमों हेतु हैं नामतः भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात स्कीम (एमईआईएस)–33,010 करोड़ रु., भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)–10,002 करोड़ रु., राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल)–5,286 करोड़ रु. राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल)–330 करोड़ रु., निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी)–2,568 करोड़ रु. अन्य पहले से चली आ रही स्कीमें जैसे टार्गेट प्लस स्कीम (टीपीएस), फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) इत्यादि– 4,831 करोड़ रु.। इसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 की चौथी तिमाही के दौरान आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल के अंतर्गत किए गए निर्यात हेतु दी गई सहायता शामिल है। अनुमान है कि ऐसे लाभ 45,000 से अधिक निर्यातकों को संवितरित किए जाएंगे जिसमें से लगभग 98 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की श्रेणी में आ सकता है।

(ग) इन स्कीमों के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान आवेदक निर्यातक जिनके आवेदनों की किसी कमी हेतु जांच की जाती है, द्वारा पात्रता मानंदडों को पूरा करने पर निर्भर है। इन स्कीमों हेतु संपूर्ण आवेदनों के अनुमोदन की प्रक्रिया भिन्न–भिन्न है। कुछ स्कीमों जैसे एमईआईएस, आरओएससीटीएल और आरओएसएल में ऑनलाइन आवेदनों को आम तौर पर सिस्टम स्वीकृति दी जाती है जबकि एसईआईएस, टीपीएस और एफपीएस ऑनलाईन आवेदनों हेतु दस्तावेजों की मैनुअल संवीक्षा और जांच अपेक्षित है। इस कारण से निर्यातकों की बकाया राशि के राज्यवार ब्यौरे का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रमुख स्कीमें चलायी गई हैं/कार्रवाई की गई है:

i. विदेश व्यापार नीति 2015–20 को कोविड–19 महामारी के दौरान एक स्थिर व्यवस्था प्रदान करने के लिए 31.03.2022 तक आगे बढ़ाया गया है जिसमें स्कीमें जैसे अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि निर्यात उत्पादन हेतु कच्चे माल और पूंजीगत माल का शुल्क मुक्त आयात करना समर्थित हो सके।

ii. वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम को 12,454 करोड़ रु. के बजट के साथ प्रारंभ किया गया है।

iii. परिधान और मेड–अप्स के निर्यात हेतु राज्य और केन्द्रीय लेवी और करों की छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम को मौजूदा दरो के साथ मार्च, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

iv. कृषि उपज के माल भाड़े और विपणन के अंतरराष्ट्रीय संघटक को सहायता प्रदान करने और विनिर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों हेतु ब्रांड पहचान को बढ़ावा देने के लिए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

v. निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

vi. 200 देशों और 31 वस्तु समूहों हेतु निर्यात की मासिक निगरानी की जा रही है।

vii. ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के तत्वावधान में 21 से 26 सिंतम्बर, 2021 के दौरान वाणिज्य सप्ताह मनाया गया ताकि निर्यात और निर्यात संबंधी विभिन्न मुद्दों हेतु जागरूकता लाने और विचार विमर्श करने हेतु उद्योग जगत के सदस्यों, निर्यातकों, संघों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को शामिल किया जा सके।

viii. समस्त निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिन्हित करके जिलों को निर्यात हबों के रूप में सवंर्धित किया जा रहा है।

ix. सेवाओं के निर्यात को बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से सार्थक बाजार में पहुंच के संबंध में बातचीत करके, सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी जैसे अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी और आयोजन के माध्यम से सहायता दी जा रही है।

x. अभिज्ञात नोडल मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से चिन्हित किए गए चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'एक्शन प्लान फॉर चैंपियन सैक्टर इन सर्विसेस' भी तैयार किया गया है।

xi. बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे निर्यात बाजार अनुसंधान, उत्पाद विकास, उत्पाद पंजीकरण, विदेश में मेलों, प्रदर्शनियों क्रेता–विक्रेता मीट (बीएसएम), रिवर्स क्रेता–विक्रेता मीट्स का आयोजन/भागीदारी इत्यादि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान की जा रही है।

xii. निर्यात अवसंरचना के विकास पर समन्वित और फोकसयुक्त ध्यान के लिए, व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे के उन्नयन देने हेतु एक कार्य समूह का गठन किया गया है और एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) तैयार की गई है। इसमें बंदरगाहों तक सड़क और रेल संपर्क में सुधार और बंदरगाहों पर स्मार्ट गेट संबंधी उपाय करना शामिल हैं।

*****